

पत्रावली दिनांक ०१/१५/८६ को पेश हो।

०१/१५/८६

पत्रावली पेश हुई। प्राथमिक वकील उपरोक्त प्राथमिक
द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की
जा चुकी है। प्रावपत्र को यलाने का
कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रावपत्र
इसी स्तर पर खारिज किया जाता
है। प्रावपत्र फंसल नुमांर दोकर
द्वारिकल दफ्तर है।

